न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 313/2017 निर्णय दिनांक :– 11.8.20

उनवान

1. राम गोपाल पुत्र श्री हरिनारायण जाति जाट, निवासी ग्राम मुंडिया खुर्द, तहसील चाकसू जिला जयपुर

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

दावा दुरस्ती घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी को ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया कि वाके ग्राम मूण्डिया खुर्द तहसील चाकसू में आराजी खाता सं. 21 में खसरा नं. 173/3 रकबा 0.05 है0 एवं खात सं. 107 में खसरा नं. 621 रकबा 0.03 है0 एवं खाता सं. 102 में खसरा नं. 82/1, 83/2, 172/2, 209/3, 223/2, 388/1, 442/2, 556/3, 752, 753/1, 797/2 कुल किता 11 कुल रकबा 3.66 है0 स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में वादी के पिता स्व. हरिनारायण के नाम

उपखण्ड अधिका
चाकसू (जयपुर

राजस्व रिकार्ड में थी उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी का नामान्तकरण जब वादी व उसके भाईयों के नाम विरासत का खुला तब गलती से राम गोपाल की जगह गोपाल कर दिया क्योकि वादी राम गोपाल को बचपन में घर पर गोपाल कहकर भी पुकारा जाता था जबकि वादी के तमाम दस्तावेजात राम गोपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। वादी के समस्त कागजात पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि राम गोपाल पुत्र हरिनारायण के नाम से बने हुये है। उक्त नामान्तकरण में सहवन से राम गोपाल की जगह गोपाल कर दिया गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार गोपाल पुत्र हरिनाराण व राम गोपाल पुत्र हरिनाराण नाम का एक ही व्यक्ति मुण्डिया खुर्द, तहसील चाकसू में है केवल वादी के नाम राम गोपाल की जगह गोपाल नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती के बिना वादी अपनी जमीन पर मिलने वाली राजकीय लाभो, ऋणों इत्यादि से वंचित है वादी ने उक्त दुरूस्ती हेतु हाल ही में चले राजस्व अभियानों में जुलाई माह में भी नाम शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लगाया था लेकिन उक्त में श्रीमान तहसीलदार साहब ने सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त करवाये जाने बाबत् हिदायत दी इसलिये वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण जब जुलाई माह राजस्व कैम्प में वादी का नाम दुरूस्त नहीं किया जाकर सक्षम न्यायालय हेतु हिदायत दी गई तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। मान्य न्यायालय को दावा सुनने व

उपखण्ड अधि
चाकसू (जय

तय करने का क्षेत्राधिकार को प्राप्त है। दावा वादी बहक प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र में मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम गोपाल को हजब कर राम गोपाल घोषित किया जावें तथा तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे कि वादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल गोपाल को हटा कर दिया जाकर इन्द्राज राम गोपाल अंकित कर किया जावें तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नही करें। दावा वादी वकील के द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी व जवाब सरकार पेश करने हेतु पत्र क्रमांक 1958 दिनांक 19.12.2017 को लिखने के उपरान्त भी न तो जवाब सरकार पेश किया गया और न ही परेवी हेतु पैरोकार सरकार हाजी अदालत हाजा/वकील वादी ने कथन किया कि दावा वादी केवल गोपाल रामगोपाल नाम दुरस्ती का है जो प्रस्तुत दस्तावेज चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र हरिनारायण दर्ज है एवं सरपंच ग्राम पंचायत माधोसिहपुरा के द्वारा भी वादी का नाम रामगोपाल पु हरिनारायण बताया गया है। गोपाल व रामगोपाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति अतः उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर दावा वादी दुरस्त किया जावें। वकी वादी की बहस पर मनन किया व प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र एवं जमाबन्दी सरपंच प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया केवल राजस्व जमाबन्दी में ही वादी का नाम गोपाल अंकित है जब

उपखण्ड
चाकसू

राशनकार्ड, चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, में रामगोपाल अंकित है सरपंच ग्राम पंचायत सवाई माधोसिहपुरा द्वारा भी गोपाल व रामगोपाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेज एवमं सरपंच प्रमाण पत्र के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्रि किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मुण्डिया खुर्द तह चाकसू के खाता संख्या 21 के ख.न 173/2, 107, 621, 102, 82/1, 83/2, 172/2, 209/3, 223/2, 388/1, 442/2, 556/3, 752, 753/1, 797/2, किता 11 रकबा 3.86 है0 में वादी का नाम गोपाल को हजब किया जाकर रामगोपाल घोषित किया जाता है इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में गोपाल के बजाय रामगोपाल दुरस्त किया जावें। निर्णय अनुसार डिक्रि जारी हो निर्णय की पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दफतर हों

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
11.8.23

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू